- 74th TCB -

AGENDA - 1

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Minutes of 74th meeting of the Traffic Control Board held on 19-05-2014

The 74th Traffic Control Board meeting was held under the Chairmanship of Jaipur Development Commissioner on 19th May2014 at 10.30 AM in Manthan Conference Hall of JDA.

List of officers attended the meeting is as per Annexure 'A'.

Item No.	Agenda Item	Decisions	Action to be taken by:-
1	2	3	4
74.1	Confirmation of minutes of 73rd TCB meeting held on 12.08.2013	Proceedings of the 73th TCB meeting held on 12.08.2013 was confirmed.	
74.2	Compliance report on decisions taken in 73rd TCB meeting.	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर चर्चा कर फैसला लिया गया कि विभिन्न स्थानों पर स्लीड देकर बनाया जाना, मीडियन का निर्माण किया जाना, चौराहों पर सर्किल को छोटा किया जाना, ट्रैफिक एल टाईप सिग्नल लगाया जाना, समानान्तर एवं लिंक रोड का निर्माण किया जाना, अवरोधक ट्रांसफार्मर को हटाया जाना, अवरोधक पेडों को हटवाया जाना, रोड कट बन्द कराए जाना, दुर्घटना संभावित क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा उपाय व अन्य ट्रैफिक सुधार संबंधी कार्य इत्यादि का उपायुक्त पुलिस (यातायात) की अध्यक्षता में गठित स्टेयरिंग कमेटी पुनः परीक्षण कराकर आगामी ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक के समक्ष प्रस्तुत करें।	उपायुक्त पुलिस (यातायात) के अधीन गठित स्टेयरिंग कमेटी
73.[illegible]	73.[illegible] Road Safety &	टोंक रोड, अजमेर रोड तथा सीकर रोड पर सड़क की सीमा से अस्थायी	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) जेडीए

	Traffic Management action plan for Jaipur City	अतिक्रमण हटाये जाकर सडक पर मार्किंग की जाए।	उप--नियंत्रक (प्रवर्तन) जविप्रा निदेशक अभियांत्रिकी--द्वितीय, जविप्रा
74.3	जल महल के सामने आमेर रोड पर पार्किंग की व्यवस्था बाबत्।	पुलिस उपायुक्त उपरोक्त स्थान को नोटिफिकेशन जारी कर पार्किंग हेतु घोषित कराए तथा नगर निगम पार्किंग को संचालित करें।	उपायुक्त पुलिस (यातायात)/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर।
74.4	यादगार स्थित घण्टाघर की घडी के रिपेरिंग के भुगतान के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा यादगार टावर की घडी की मरम्मत का भुगतान जविप्रा द्वारा किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।	
74.5	कॉलोनियों में लगे लोहे के गेटों के गलत डिजाईन व रोड सेफ्टी के सम्बन्ध में।	चर्चा उपरान्त भविष्य में सुरक्षा गेट लगाने हेतु निर्णय लिया गया है कि -- ए.1 भविष्य मे जयपुर शहर मे सुरक्षा की दृष्टि से 40 फीट एवं इससे कम चौडी सडक पर ही लगाये जायेंगे। 40 फीट से अधिक चौडी सडक पर सुरक्षा गेट नही लगाये जाये। ए.2 40 फीट या उससे कम चौडी सडकों पर उपायुक्त पुलिस (यातायात) की अध्यक्षता में गठित स्टेयरिंग कमेटी जिसमें नगर निगम, जविप्रा एवं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी शामिल है, की अभिशंषा पर ही गेट लगाये जा सकेंगे एवं इस कमेटी की अभिशंषा पर ही सांसद/विधायक कोष से इस हेतु राशि स्वीकृति की जायेगी। ए.3 भविष्य मे लगने वाले गेटों की स्टैण्डर्ड डिजाईन जविप्रा द्वारा तैयार की जाए। बी. जिन सडको की चौडाई 40 फीट से अधिक है तथा वहा गेट लगे हुये	उपायुक्त पुलिस (यातायात)/जविप्रा उपायुक्त पुलिस (यातायात)/ जिला कलेक्टर, जयपुर निदेशक (आयोजना) जविप्रा उपायुक्त पुलिस (यातायात)

		है, को तुरन्त हटाया जाए। बी.1 40 फीट से कम चौड़ाई की सड़कों पर गलत लगे हुये गेटों के आवश्यक सुधार के लिये समाचार पत्र के माध्यम से सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर विकास समितियों से गेट दुरुस्त करने हेतु एक माह का समय दिया जाए। बी.2 गेट के खोलने बन्द करने के लिये विकास समिति से चौकीदार नियुक्त करने की अण्डरटेकिंग प्राप्त की जाए। बी.3 स्टेयरिंग कमेटी द्वारा गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाकर आवश्यकतानुसार सही गेट लगवाये जाए।	
7.6	जयपुर शहर में आमजन को जन सुविधा हेतु बीओटी पर विभिन्न कार्य करवाये जाने का कार्य।	चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया है कि – 1. बीओटी पर प्रस्तावित बस स्टॉप, सार्वजनिक शौचालय एवं दिशा सूचक बोर्ड लगाने बाबत एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर 15 दिवस में आमजन से सुझाव एवं प्रस्तावित स्थल पर आपत्ति प्राप्त की जाए। 2. तत्पश्चात् स्टेयरिंग कमेटी द्वारा स्थान फाईनल किया जावें तथा इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की भी सलाह ली जाए। 3. उपरोक्त प्रक्रिया पश्चात् प्रस्तावित कार्य की बीओटी पर प्राधिकरण द्वारा निविदा आमंत्रित कर निर्माण कार्य कराया जाए। 4. उपरोक्त कार्य में विज्ञापन से प्राप्त राशि जयपुर नगर निगम को दे दी जाए। 5. बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि पुराने सार्वजनिक शौचालयों का जविप्रा एवं नगर निगम अपने अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार निरीक्षण	उपायुक्त पुलिस (यातायात) के अधीन गठित स्टेयरिंग कमेटी एवं निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय जविप्रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगरनिगम /निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय जविप्रा

		करे व कमी पाये जाने पर अनुबंध के अनुसार कार्यवाही करें तथा इसकी रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।	
74.7	जयपुर शहर मे विभिन्न तिराहो / चौराहो पर सिग्नल लाईट लगाने व टोंक रोड, अशोक मार्ग पर एरिया ट्रैफिक कन्ट्रोल सिस्टम लगाने का कार्य।	विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा संलग्न परिशिष्ट–ब में अंकित स्थानों पर ट्रेफिक सिग्नल एवं संलग्न परिशिष्ट–स में प्रस्तावित एरिया ट्रेफिक कन्ट्रोल सिस्टम लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त पुलिस (यातायात) के अधीन गठित स्टेयरिंग कमेटी एवं निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम जविप्रा
74.8	जयपुर में सुचारु यातायात हेतु अन्य मुद्दे		
(a)	गोविन्द मार्ग पर बाहरी वाहनों का प्रवेश रोकने बाबत।	चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया है कि गोविन्द मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों को जवाहर नगर बाईपास से पूर्वानुसार गुजारा जावे। जवाहर नगर कच्ची बस्ती के बाहर दीवार का निर्माण कराया जाये। निर्मित सडक में आवश्यक सुधार किये जावें ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।	उपायुक्त पुलिस (यातायात), निदेशक अभियांत्रिकी– द्वितीय जविप्रा
74.8 (b)	Declaration of No Parking area from Jawahar Circle to Terminal-2 Jaipur Airport.	उपायुक्त पुलिस (यातायात) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल–2 के सामने स्थित सडक को नो–पार्किंग एरिया घोषित कराए।	उपायुक्त पुलिस (यातायात)
74.8 (c)	Proposal for improvement of traffic at	यातायात पुलिस द्वारा नवीन प्रस्तावों (संलग्न परिशिष्ट–द) पर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित बिन्दुओं का सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के	उपायुक्त पुलिस (यातायात)

	various locations.	साथ परीक्षण और आगामी टीसीसी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाएं।	
पूरक एजेण्डा-1	Modification in traffic management plan and general arrangement drawing at Transport Nagar Chauraha.	बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण उपायुक्त पुलिस (यातायात) की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष रखा जाए। कमेटी द्वारा मौका देखकर जो निर्णय लेवें, उसके अनुसार जविप्रा द्वारा मौके पर कार्य कराया जाए।	उपायुक्त पुलिस (यातायात)/ निदेशक अभियांत्रिकी- प्रथम, जविप्रा
पूरक एजेण्डा-2	चांदपोल से बडी चौपड तक भूमिगत मेट्रो के निर्माण के दौरान ट्रैफिक के सुचारू संचालन के उपाय;	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर मेट्रो द्वारा चारदीवारी शहर में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक भूमिगत मेट्रो मार्ग का निर्माण एवं छोटी व बड़ी चौपड़ पर भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण के दौरान चारदीवारी शहर के इस प्रभावित भाग में यातायात संचालन की योजना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की तथा अवगत कराया गया कि चांदपोल से चौपड़ के मध्य ट्रैफिक निम्न वैकल्पिक मार्गों पर चलाया जायेगा। (i) खजाने वालों का रास्ता (ii) कल्याणजी का रास्ता (iii) नाहरगढ़ रोड (iv) गणगौरी गेट से दीनी की बुर्ज (v) पेंशन ऑफिस से आतिश मार्केट इन मार्गों की सड़क मरम्मत आदि का कार्य नगर निगम द्वारा करवाया जायें। माननीय विधायक किशनपोल ने मांग की कि निर्माण अवधि के दौरान	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर मेट्रो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर पुलिस उपायुक्त (यातायात),

		पार्किंग व्यवस्था हेतु निम्न स्थानों पर पार्किंग विकसित की जावे– अ. चौगान स्टेडियम के बाहरी भाग में भूमिगत पार्किंग. ब. चांदपोल अनाज मण्डी में भूमिगत पार्किंग. स. हिन्द होटल में दुपहिया वाहनों हेतु धरातल पार्किंग। उपरोक्त पार्किंग विकसित करने हेतु नगर निगम उपरोक्त स्थानों के स्वामित्व एवं न्यायिक परीक्षण कर प्रबन्ध निदेशक मेट्रो को अवगत करायेगा तथा तत्पश्चात् इसके तकमीने इत्यादि तैयार कर RTDIF से Funding हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए जाए।	
पूरक एजेण्डा–3	जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर की विभिन्न सडक पर निर्माणाधीन नालियों के समयबद्ध निर्माण हेतु दिन में कार्य स्वीकृति बाबत :	अधिशाषी अभियन्ता (ड्रेनेज प्रोजेक्ट), जविप्रा द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार कर बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 8 में से 7 मार्गो पर दिन में 12 बजे से 4 बजे तक एवं रात्रि 8 से प्रातः 8 बजे तक कार्य करने की स्वीकृति, आगामी वर्षाकाल से पूर्व नाली निर्माण की आवश्यकता के मद्देनजर, की गई। एमआई रोड पर यातायात घनत्व व अन्य समस्याओ के कारण दिन में कार्य करने की स्वीकृति नहीं की गई। यहा रात्रि 8 से प्रातः 8 बजे तक कार्य करने की स्वीकृति दी गई।	उपायुक्त पुलिस (यातायात)
पूरक एजेण्डा–4	Allowing other Public transport buses in BRT corridors.	बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि बीआरटी कोरिडोर में प्रायोगिक तौर पर मिनी बसों का आवागमन बाध्य रुप से किया जावेगा। बीआरटीएस कॉरीडोर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस उपायुक्त (यातायात) द्वारा 50 गॉर्डस तक आवश्यकतानुसार लगाये जा सकेंगे, जिनका वेतन भरण जविप्रा द्वारा किया जायेगा। बीआरटी कोरीडोर में यदि कही और ट्रेफिक सिग्नल की आवश्यकता है तो	उपायुक्त पुलिस (यातायात), निदेशक अभियांत्रिकी– प्रथम, जविप्रा

		उपायुक्त पुलिस (यातायात) निरीक्षण कर अपनी अनुशंषा के साथ प्रस्ताव जविप्रा को भिजवायेंगी।	
पूरक एजेण्डा–5	जयपुर कलेक्टर द्वारा उठाये गये बिन्दु –		
	1 राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण के मध्य से तिलक नगर एवं झालाना को जोडने वाले सड़क मार्ग को प्रारम्भ करने बावत।	कलेक्टर जयपुर ने बोर्ड को अवगत कराया कि उक्त सड़क को सामान्य यातायात हेतु खोलने से इन्दिरा सर्किल व जवाहरलाल नेहरु मार्ग पर दबाव कम होगा एवं उन्होने विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रस्ताव की सहमति प्राप्त कर रखी है। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का स्वागत करते हुये मंजूरी दी एवं प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय के मध्य सड़क को चौड़ा करने एवं दोनो ओर जाली लगाये जाने के निर्देश दिये गये।	जिला कलेक्टर निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय, जविप्रा
	2 झालाना कच्ची बस्ती के सामने कठपुतली नगर की तर्ज पर दीवार बनाने बावत।	जिला कलेक्टर द्वारा बताया गया कि महात्मा गांधी सर्किल से झालाना कच्ची बस्ती होकर जगतपुरा जाने वाले मार्ग की यातायात महत्ता बढती जा रही है जिसके मद्देनजर झालाना कच्ची बस्ती की गतिविधिया सीमित रखने हेतु सडक पर दीवार बनाने की आवश्यकता है। बोर्ड ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि जविप्रा सड़क सीमा से अतिक्रमण हटा दीवार का निर्माण करायेगे।	निदेशक अभियांत्रिकी–द्वितीय मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जविप्रा
	3 जिलाधीश कार्यालय मे पार्किंग विकसित करने बावत।	जिला कलेक्टर जयपुर ने जिलाधीश कार्यालय में पश्चिमी ओर उपलब्ध जमीन पर भूमिगत पार्किंग विकसित करने हेतु आवश्यकता जताई। बोर्ड द्वारा विचार विमर्श कर उक्त पार्किंग विकसित करने की धनराशि के स्त्रोत यथा RTIDF तलाश कर आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने	जिला कलेक्टर

		हेतु निर्णय लिया।	
पूरक एजेण्डा-6	माननीय विधायक किशनपोल द्वारा चारदीवारी में यातायात सुधार हेतु उठाये गये बिन्दु –		
	1. चारदीवारी शहर से डेयरी शिफ्ट किये जाने बाबत्।	माननीय विधायक श्री मोहनलाल गुप्ता द्वारा चारदीवारी शहर में शेष कार्यरत् दुग्ध डेयरियों को जविप्रा द्वारा पूर्व में विकसित डेयरी योजनाओं में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता जताई। निदेशक (आयोजना) जविप्रा द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में सभी चिन्हित डेयरियों को विकसित योजनाओं में भूखण्ड उपलब्ध करा दिये गये थे। विचार विमर्श कर बोर्ड ने निर्णय लिया कि – अ. पूर्व आवंटित सूची नगर निगम को उपलब्ध कराई जावे एवं नगर निगम यह जांच करेगा कि क्या विद्यमान डेयरियों को पूर्व में आवंटन किया गया है। ब. आवश्यकता होने पर जविप्रा अतिरिक्त डेयरी योजना के नियोजन पर विचार करेगा।	निदेशक आयोजना जविप्रा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम
	2. शहर में स्थित पुरोहित जी के कटले को शहर के बाहर अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट किये जाने के संबंध में।	माननीय विधायक ने अवगत कराया कि बड़ी चौपड़ पर स्थित पुरोहितजी के कटले में कोई अग्नि दुर्घटना होने की स्थिति में बहुत अधिक जानमाल का नुकसान हो सकता है, अतः अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है। विचार विमर्श कर बोर्ड ने नगर निगम को माननीय विधायक के सहयोग से	मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर

	व्यापारियों से राय कर योजना बनाने के निर्देश दिए गये।	निगम
3. चारदीवारी क्षेत्र में पार्किंग / नो-पार्किंग घोषित किये जाने के क्रम में।	विचार विमर्श के दौरान माननीय विधायक द्वारा सुझाव दिये गये कि शहर की विभिन्न गलियां एवं चौक में लिमिटेड पार्किंग तथा अधिक भीड़भाड़ एवं ट्रेफिक बाधित करने वाले क्षेत्रों को नो-पार्किंग घोषित किया जावें। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर निगम एवं उपायुक्त पुलिस यातायात आवश्यक परीक्षण करवाकर गुणावगुण आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाए।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम/ उपायुक्त पुलिस यातायात
4. चारदीवारी क्षेत्र में विभिन्न मार्केट के अवकाश अलग अलग दिन किये जाने के क्रम में।	माननीय विधायक द्वारा चारदीवारी शहर में यातायात भार को कम करने हेतु सुझाव दिया कि विभिन्न बाजारों को अलग अलग दिवसों में साप्ताहिक बन्द करने का प्रावधान रखा जाये। बोर्ड द्वारा पुलिस उपायुक्त यातायात एवं जिला कलेक्टर को इस संबंध में Shop Establishment Act. के तहत जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	जिला कलेक्टर जयपुर/ उपायुक्त पुलिस यातायात
ट्रैफिक एजेण्डा-7 अध्यक्ष टांसावी द्वारा उठाये गये बिन्दु - 1. जयपुर के विभिन्न मार्गों पर स्थित बस डिपो से रोडवेज बसों का संचालन किए जाने के क्रम में.	जयपुर शहर में समस्त बसों का संचालन सिन्धी कैम्प से होने की स्थिति में विभिन्न मार्गों से समस्त केन्द्र बिन्दु - सिन्धी कैम्प आती है एवं समस्त यात्रीगण भी एक स्थान पर आते हैं जिससे शहर की सड़कों पर ट्रेफिक दबाव रहता है। इस समस्या के समाधान हेतु विचार विमर्श के दौरान तथ्य उभर कर आये की जयपुर शहर में विभिन्न दिशाओं में स्थित रोडवेज डिपो उपलब्ध होने की स्थिति में उन दिशाओं में रोडवेज द्वारा संचालन	

	की जा रही बसों को सिन्धी कैम्प के स्थान पर उस डिपो से ही बसों का संचालन निम्न प्रकार से किया जा सकता है – 1. विद्याधर नगर डिपो से सीकर, बीकानेर, गंगानगर आदि रुट की बसों का संचालन 2. ट्रांसपार्ट नगर डिपो से भरतपुर, दौसा, आगरा आदि रुट की बसों का संचालन 3. सांगानेर डिपो से टोंक कोटा आदि रुट की बसों का संचालन 4. वैशाली डिपो से अजमेर, उदयपुर, जोधपुर एवं दिल्ली आदि रुट की बसो का संचालन। बोर्ड द्वारा तदनुसार बसो के संचालन हेतु निर्णय लिया गया।	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आरएसआरटीसी, जयपुर
2 JCSTL की बस शेल्टरो पर आगमन विवरण डिस्प्ले बाबत	JCSTL की बसों में GPS System लगाकर विभिन्न बस शेल्टरों/स्टैण्डों पर डिस्प्ले लगाकर उन्हे GPS से लिंक करने का निर्णय लिया गया।	प्रबन्ध निदेशक, JCSTL
3 बहुमंजिला आवासीय परिसरों में मशीनचलित पार्किंग (Mechanised Parking) बाबत।	अध्यक्ष टीसीबी द्वारा अवगत कराया गया कि बहुमंजिलीय आवासीय परियोजनाओं की स्वीकृति के समय विनियमो अनुसार मैकेनाईज्ड पार्किंग का प्रावधान कर नक्शे अनुमोदित कर दिये जाते है किन्तु उक्त पार्किंग या तो लगाई नही जाती या उसको चलाया नहीं जाता तथा ऐसी पार्किंग का चलाना व रखरखाव व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है अतः ऐसे परिसरों में पार्किंग व्यवस्था का अभाव रहता है एवं सड़को पर पार्किंग की जाती है। बोर्ड ने विचार विमर्श कर निर्देश दिया गया कि ऐसे परिसरों में	निदेशक (आयोजना) जविप्रा

		मैकेनाईज्ड पार्किंग को हटाये जाने के प्रावधान का अध्ययन कर भवन विनियमों में आवश्यक संशोधन करने की कार्यवाही की जावें।	
पूरक एजेण्डा-8	विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाये गये बिन्दु -	1. मुख्य नगर नियोजक द्वारा दुर्गापुरा से मानसरोवर जाने वाली सड़क पर डालडा फैक्ट्री पुल के बाद सड़क पर विद्यमान पेड़ को हटाने का सुझाव दिया जिस पर बोर्ड ने जविप्रा को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।	वन संरक्षक, जविप्रा।
		2. उपायुक्त यातायात द्वारा यातायात पुलिस के पास उपलब्ध इन्टरसैप्टर वाहन व ब्रेथ एनालाईजर खराब पड़े होने की स्थिति में स्पीड नियंत्रण व शराब पी कर गाडी चलाने के मामलों को रोकने में हो रही कठिनाई बोर्ड के सामने व्यक्त की। इसके निराकरण हेतु एवं यातायात सुधार हेतु जविप्रा आयुक्त ने उक्त आयुक्त ने 50 ब्रेथ एनालाईजर खरीदन एवं इन्टरसैप्टर की मरम्मत राशि जविप्रा द्वारा उपलब्ध कराने की सहमति दी। यातायात पुलिस उक्त कार्य करायेगा एवं बिल जविप्रा को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा।	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(हस्ताक्षर)

अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम
सदस्य सचिव
ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड